



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर  
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)  
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत जानपालिया)

राजस्व आवेदन सं. 402/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थनी नूरी पत्नी करीमना बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थनी नूरी पत्नी करीमना निवासी छोटी बिसासर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का जानपालिया, राजस्व गांव जानपालिया के खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 788/458 रकबा 2.5414 हैक्टेयर किस्म बरानी दोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम नूरी पत्नी श्री कादर खान राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम नूरी पत्नी श्री कादर खान के स्थान पर नूरी पत्नी श्री करीमना है इस तरह उनके नाम नूरी पत्नी श्री कादर खान के स्थान पर नूरी पत्नी श्री करीमना दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.10.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थनी नूरी पत्नी करीमना का पटवार हल्का जानपालिया, राजस्व गांव जानपालिया के खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 788/458 रकबा 2.5414 हैक्टेयर किस्म बरानी दोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77 में प्रार्थनी का नाम नूरी पत्नी श्री कादर खान के स्थान पर नूरी पत्नी श्री करीमना शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



क्रमांक:- 2165-67

(बद्रीनारायण विश्नोई अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी (एस.एस.डी) सेड़वा  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सेड़वा  
दिनांक : 12/12/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थनी नूरी पत्नी करीमना निवासी छोटी बिसासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

